न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00129 दायरा दिनांक : 22.11.2016

उनवान

1– अब्दुल गफूर आत्मज यासीन खां जाति मुसलमान निवासी गगठाना फोत–
1/1 सलीम आत्मज अब्दुल गफूर
1/2 मुमताज आत्मज अब्दुल गफूर
1/3 श्रीमती बिस्मिल्ला बैंवा अब्दुल गफूर (डिलिट)
1/4 श्रीमती सायरा आत्मज अब्दुल गफूर मृतक जर्ये कायममुकामान 1/4/1 लगायत 1/4/5
4/1/1 अब्दुल सत्तार (पुत्र) आत्मज स्व० गुल मोहम्मद
4/1/2 कल्लू (पुत्र) आत्मज स्व० गुल मोहम्मद
4/1/3 अनवर (पुत्र) आत्मज स्व० गुल मोहम्मद
4/1/4 रफीक (पुत्र) आत्माज स्व० गुल मोहम्मद
4/1/5 शहनाज (पुत्री) आत्मज स्व० गुल मोहम्मद
1/5 श्रीमती हसीदा आत्मज अब्दुल गफूर
1/6 श्रीमती सलमा आत्मज अब्दुल गफूर
1/7 श्रीमती जमीला आत्मज अब्दुल गफूर
1/8 श्रीमती नसीम आत्मज अब्दुल गफूर
1/9 श्रीमती रईसा उर्फ रसीदा आत्मज अब्दुल गफूर
जाति मुसलमान निवासी सकनाए गगठाना

2– अब्दुल शकूर आत्मज यासीन खां जाति मुसलमान निवासी गगठाना फोत–
2/1 शेर मोहम्मद आत्मज अब्दुल शकर
2/2 अलीम आत्मज अब्दुल शकूर
2/3 श्रीमती जिब्बो पत्नी अब्दुल शकूर
2/4 श्रीमती जायदा पत्नी अब्दुल शकूर
जाति–मुसलमान निवासी सकनाए गगठाना तहसील पचषहाड़ जिला झालावाड़
.... अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज भवानीलाल जाति अहीर निवासी खोद तह० पचपहाड़ झालावाड
2. जयकिशन आत्मज रतनलाल जाति अहीर निवासी श्रीछत्रपुर
3. अनोख बाई पत्नी घांसीलाल जाति अहीर निवासी खोद
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जगदीश खण्डेलवाल व श्री श्रवण कुमार सोनी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सत्यनारायण सुमन रेस्पोडेंट कम 1 अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 22–12–2023

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 119/दावा/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम छत्रपुर तहसील पचपहाड में आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 264/1 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 264/2 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। उक्त अराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने निर्णय दिनांक 29.07.2015 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया, तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 264/1 रकबा 7.02 बीघा, खसरा नम्बर 264/2 रकबा 6.04 बीघा वाके ग्राम छत्रपुर तहसील पचपहाड का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–7–2016 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण एक तरफा रूप से डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सभी तनकीयात का निर्णय वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय कर दावा वादी डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 1 ने वादी को कोई भूमि बेचान नहीं की क्योंकि विवादित भूमि पर प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं था। ता बेचान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 व उसके वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित भूमि पर कभी भी वादी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसके बावजूद भी उक्त फर्जी बेचान को आधार मान कर दावा वादी डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया है कि जब प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 ने कोई भूमि का ही बेचान नहीं किया तथाकथित बेचान के कागजात फर्जी व बनावटी है इसी कारण उसको छिपाये व दबाये रखा गया और उसका इंतकाल वादी रेस्पो० द्वारा आज दिन तक नहीं खुलवाया गया उक्त रजिस्टर्ड बेचान फर्जी होने से अपीलान्टान के विरूद्ध प्रभावहीन है और उससे रेस्पो० नं० 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस कारण वादी का दावा खारिज होने योग्य था जिसको खारिज न कर डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे रजिस्टर्ड दस्तावेज सन् 1972 फर्जी व बनावटी हो । इस सम्बन्ध में प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 ने अपने जवाब दावा में स्पष्ट इन्कार किया है कि वर्ष 1972 में प्रतिवादी अपीलान्ट न० 1 ने कोई भूमि बेचान नहीं की है। यदि कोई बेचान किया गया होता तो उसका इन्तकाल खुलवाना चाहिये था जब कि 35 वर्ष की अवधि में कभी भी इंतकाल नहीं खुलवाया इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण भी नहीं दिया इससे यह स्पष्ट है कि कोई भूमि बेचान नहीं की गयी व तथाकथित बेचान फर्जी व अवैध है। इस आधार पर स्वतः ही उक्त बेचान फर्जी व बनावटी हो जाता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादी खारिज करना चाहिये था ऐसा न करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी पर वादी का कोई हक, कब्जा काश्त दावा दायरी के समय नहीं था ओर वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था जिसे अधीनस्थ न्यायालय को दावा खारिज करना चाहिये था किन्तु ऐसा न करने में विधिक भूल की है। विवादित भूमि पर अपीलान्टान का ही कब्जा कास्त चला आ रहा है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि रेस्पो० नं० 1 का नाम दर्ज कर दी गयी और उसके आधार पर रेस्पों० वादी अपीलान्टान को उसके कब्जे की भूमि से बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट का अपील करना ही बेकार हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक

8–7–2016 को निर्णय व डिक्री प्रतिवादी अपीलान्टान की अनुपस्थिती में एक तरफा रूप से पारित की गयी है जिसकी प्रतिवादीगण अपीलान्टान को कोई जानकारी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट सलीम को दिनांक 31–8–2016 को उक्त निर्णय बाबत कहने पर निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई इस पर दिनांक 1–9–2016 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जिस पर दिनांक 9–9–2016 को नकल प्राप्त हो गयी नकल लेकर अपीलान्टान रूपयों का इंतजाम करने में व्यस्त रहा तथा रूपयों का इंतजाम कर आज यह अपील अविलम्ब उचित न्याय शुल्क पर पेश है। दिनांक 8–7–2016 से 31–8–2016 तक की जानकारी की अवधि व नकल तथा रूपयों के इंतजाम में लगे दिन को कन्डौन किया जाकर अपील अवधि मध्य पेश है। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–7–2016 निरस्त फरमाया जावे तथा दावा वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे। दोनों मुकदमों का खर्चा अपीलान्टान को रेस्पो० नं० 1 से दिलवाया जायें

4 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस अभिभाषकगण उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.08.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

6 अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–16 प्रतिवादीगण 1– 4 की अनुपस्थिति में केम्प ग्राम छतरपुर में बिना साक्ष्य बयानात, बिना वादी द्वारा अपने पेश दस्तावेज को प्रदर्शित कराये. बिना न्यायालय में शपथ बयान, बिना जिरह, बिना प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये, बिना बहस सुने, एकतरफा रूप से विधि– विरूद्व मनमर्जी से, आपसी मिलिभगत कर पारित किया गया है। जो पारित ही नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी का वाद अर्न्तगत धारा 88 बाबत खातेदारी की घोषणा रहा था अर्थात वादी ने खातेदार नहीं होना स्वयं भी मानते हुये, इस बाबत गम्भीर विधिक अनुतोष (अनुसार) चाहते हुये ही वाद प्रस्तुत किया था। यह कि वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात भी दिनांक 13.01.2016 को कायम की गई। वाद साक्ष्य वादी में नियत चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्रावली को मनमर्जी रूप से रखते हुये पत्रावली में दिनांक 23.05.2016 को पेशी नियत कर दी। दिनांक 23.05.2016 को कोई भी पक्षकार कैंप में उपस्थित नहीं होने पर फिर पेशी की दिनांक 28.05.16 नियत की, जहां पर वादी उपस्थित हुआ। प्रतिवादीण के उपस्थित नहीं होने से अर्थात समस्त पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 28.05.16 को कोई कार्यवाही न कर आगे दिनांक 08.07.16 को कैंप श्रीछत्रपुर में पत्रावली को मनमर्जी रूप से रख लिया । दिनांक 08.07.16 को प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 के अनुपस्थित रहने पर भी, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी 5 का पेश जवाब दावा रिकार्ड पर पत्रावली में शामिल कर लिया और उसी दिन प्रतिवादी की अनुपस्थिति में केवल वादी को सुनकर ही अपना निर्णय दिनांक 08–07–16 को ही एकतरफा रूप से पारित कर दिया गया । इस अपील में उक्त प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया (जो विधि अधीन ही नहीं हो सकती), पर सम्माननीय इस न्यायालय को ध्यान देना न्यायोचित व आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गहन प्रश्न तथाकथित विक्रय पर दिनांक 11.07.72 व राजस्व रिकार्ड व कब्जे आदि का वाद में था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय केवल दोनों पक्षो की दस्तावेजी साक्ष्य व सशपथ बयानों, जिरह बहस व कानूनी बिन्दुओं पर विचार कर ही अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हुये विधी अधीन रूप से अधिकारी व दायित्वाधीन भी था, लेकिन मनमर्जी रूप से ग्राम कैंप में पत्रावली ले जाकर बिना पक्षकारान के उपस्थित हुये ही बिना पक्षकारान के द्वारा आपसी सहमति व राजीनामा किये ही, मनमर्जी रूप से वाद को वहीं कैम्प पर तनकीवार निर्णित कर दिया। यह किसी भी प्रकार से न्यायोचित ही नहीं हो सकता। वैसे भी ग्राम कैंप में पक्षकारान के उपस्थित होते हुये आपस में समझाईश से राजीनामा के लिये तैयार होने पर भी निर्णय लेने वाली स्थिति बन सकती है अन्यथा नहीं। लेकिन अधी० न्यायालय ने ऐसा न होते हुये भी कैंप में ही नियमित चल रहे वाद को वादी के पक्ष में विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने बाबत अपना निर्णय व डिकी पारित कर दी इससे साबित हो रहा है

कि पारित निर्णय व डिक्री, आपसी मिलिभगत से विधि विरूद्व रूप से पारित की गई है। यदि मैरिट पर अवलोकन किया जावे तो वादी द्वारा अपने वाद पत्र की मद नं0 12 में न तो वाद कारण की दिनांक का हवाला दिया है। और न घोषणा खातेदारी वाले वाद के पेश करने के पूर्व राज0 सरकार को कानूनी नोटिस अर्न्तगत धारा 80 सीपीसी का ही प्रेषित किया गया है जिसके अभाव में वादी का घोषणा खातेदारी का वाद कानूनन पोषणीय ही नहीं हो सकता।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8 अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपि वाद–पत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश भवानीमंडी, ऑडरशीट न्यायालय सिविल न्यायाधीश भवानीमंडी पेश की गई। आदेश 41 नियम 27 जा0 दी0 के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के बाद आदेश 41 नियम 27 जा0 दी0 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया ।

9 बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, लिखित बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन व मनन करने पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार पत्रावली साक्ष्य वादी में लंबित थी और साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 18.05.2016 नियत की गई थी। इसके उपरांत पत्रावली दिनांक 18.05.2016 को पेश होने पर दिनांक 23.05.2016 को राजस्व लोक अदालत कैंप श्रीछत्रपुर में रखी गई जिसकी कोई सूचना अपीलांट को जारी किया जाना पत्रावली के रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता। दिनांक 23.05.2016 को पक्षकारों के अनुपस्थित रहने से प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प में नहीं हो सका अतः पत्रावली फॉलोअप कैम्प श्रीछत्रपुर में रखे जाने हेतु दिनांक 28.05.2016 नियत की गई। पत्रावली पुनः दिनांक 28.05.2016 को राजस्व लोक अदालत फॉलोअप कैम्प में रखी गई । वादी उपस्थित, प्रतिवादी न0 5 उपस्थित हुए शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अतः समस्त पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। तहसीलदार और पटवारी हल्का को पाबंद किया गया कि प्रकरण के जवाबदावा तैयार कर पेश करे। पत्रावली पुनः साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 01.08.2016 को नियत की गई, परंतु नियत दिनांक 01.08.2016 से पूर्व ही पत्रावली पुनः दिनांक 08.07.2016 का राजस्व लोक अदालत फॉलोअप कैम्प श्रीछत्रपुर में अदालत में रखी गई जिसकी सूचना पक्षकारान को जारी किया जाना पत्रावली के रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार वादी उपस्थित एवं प्रतिवादी नं.5 तहसीलदार उपस्थित शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादी न. 5 ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विस्तृत निर्णय दिनांक 08.07.2016 पृथक से जारी किया गया। प्रतिवादी अपीलाट दिनांक 08.07.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प श्रीछत्रपुर में उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण किया गया है।

10 लोक अदालत कैंम्प में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करते है। विधिक राजीनामा के अभाव में सीपीसी के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली दिनांक 28.05.

2016 को दिए गए आदेश के अनुसार साक्ष्य वादी में रखते हुए वैधानिक रूप से अग्रिम कार्यवाही अमल में लानी चाहिए थी। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.07.2016 वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज होने योग्य है।

11 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निर्णय व डिकी दिनांक 08.07.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधिसम्मत रूप से पुनः तनकीवार निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.02.2024 को उपस्थित होवें ।

12 निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा